

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

3. समस्त मण्डलायुक्त,
उ०प्र०।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।

शिक्षा अनुभाग-(6)

लखनऊ दिनांक 24 अक्टूबर, 2007

विषय: प्रदेश के परिषदीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पका-पकाया भोजन (कुक्क मील) दिए जाने हेतु रसोइये की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-1688/79-6-04-1(6)/2000 टी.सी. दिनांक 30 जुलाई, 2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का पका-पकाया भोजन दिए जाने हेतु रसोइये की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिए गये थे :-

“भोजन पकाने वाला व्यक्ति स्थानीय हो। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, विधवाओं एवं परितक्यता को वरीयता दी जाएगी।”

इस सम्बन्ध में अग्रेतर यह निर्दिष्ट किया जाता है कि भोजन बनाने हेतु इस प्रकार की माताओं को दायित्व सौंपा जाएगा जो उपरोक्त शर्तें पूरी करती हों एवं जिनके बच्चे सम्बन्धित विद्यालय में पढ़ते हैं।

कृपया आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह०

(प्रशान्त कुमार मिश्र)

मुख्य सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक

तददिनांक.

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
4. गार्ड फाइल।

ह०

(रोहित नन्दन)

प्रमुख सचिव।

कार्यालय, निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०

पृ०सं०: म०भ०प्रा० / 11568-11810 / 2007-8 दिनांक: 25.10.2007

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
6. गार्ड फाइल।

ह०

(सूरज नारायण मिश्र)

उप निदेशक,

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०